<u>जमा करार</u>

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे
के पास जमा फिल्म सामग्री हेतु

क्योंकि भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय प्रारंभ किया है, क्योंकि सरकार निम्न शीर्षक की फिल्म को संग्रहालय में संरक्षित करना चाहती है,

शीर्षक (भाषा/वर्ष)

जो कि ----------------------------------- द्वारा प्रस्तुत की गई है और तदनुसार ---------------------- को, जो कि वर्तमान सर्वाधिकार स्वामित्व हैं, को प्रस्ताव दिया है और क्योंकि उक्त सर्वाधिकार स्वामित्व ने उपर्युक्त फिल्म की निम्न सामग्री जमा करने की स्वीकृति भी दे दी है :

आधार	सुरक्षा
गेज	लंबाई
श्वेत-श्याम/रंगीन	रीलें

भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के पास, दोनों पक्ष निम्न नियमों व शर्तों पर सहमत हैं:

(1) सर्वाधिकार स्वामित्व राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के पास, स्थाई परिरक्षण हेतु जमा सामग्री के लिए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग करने के पात्र नहीं होंगे ।

(2) राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय उसके पास जमा सभी फिल्मों के संबंध में निम्न संग्रहालय अधिकारों का उपयोग करने का अधिकारी होगा:

(क) जब तक संग्रहालय उचित समझे वह फिल्म सामग्री को नि:शुल्क अपने पास जमा रख सकता है और अपघटित सामग्री अगर अन्य परिरक्षित सामग्री को खराब कर सकती हो, तो उसे नष्ट कर सकता है ।

रंगीन फिल्मों के संबंध में यह नोट किया जाए कि संग्रहालय के पास रंगीन फिल्मों के परिरक्षण हेतु आवश्यक आधारिक संरचना उपलब्ध नहीं है । अत: ऐसी सुविधा उपलब्ध होने तक रंगीन सामग्री उपलब्ध परिरक्षण तंत्र में ही रखी जाएगी ।

(ख) संग्रहालयीन उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार किसी भी आरूप में जितने चाहे उतने प्रिंट्स या अंश, नि:शुल्क, बगैर किसी रॉयल्टी के बनाना ।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय महासंघ (एफआईएएफ) द्वारा फिल्म संग्रहालयों हेतु उल्लिखित संदर्भित नियमों के अनुसरण में फिल्म को देश अथवा विदेश में अध्ययन से चयनित दलों को गैर व्यापारिक आधार पर दिखाना ।

(घ) प्रिंट को किसी भी भारतीय/विदेशी भाषा में डब करना अथवा उपशीर्ष बनाना ।

(ङ) फिल्मों के प्रिंट्स अथवा अंशों को सिनेमा के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के शैक्षणिक उद्देश्य वाले किसी

अन्य विदेशी संग्रहालय अथवा संगठन से आदान-प्रदान अगर उक्त प्रिंट या अंशों को विनिमय किए गए संगठन अथवा विदेशी संग्रहालय अथवा राफिसं (एन एफ ए आई) द्वारा व्यापारिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है ।

(3) अगर सर्वाधिकार स्वामित्व के मूल नेगेटिव अथवा मुख्य पॉजिटिव खराब हो जाते हैं तो सर्वाधिकार स्वामित्व संग्रहालय के पास जमा फिल्म की सामग्री में से उनके स्वयं के उपयोग हेतु, स्वयं के खर्च पर, एक डुप्लीकेटिंग नेगेटिव अथवा पॉजिटिव प्राप्त करने के पात्र हैं । सामग्री को संग्रहालय द्वारा अनुशंसित किसी प्रयोगशाला में सीधे भेजा जाएगा । किंतु मूल फिल्म नेगेटिव अथवा मुख्य पॉजिटिव को उपर्युक्त उद्देश्य के अलावा अन्य किसी कार्य अथवा वीडियो कॉपिंग के लिए नहीं दिया जाएगा ।

(4) सर्वाधिकार स्वामित्व की अनुमति से कॉपी की गई रिलीज पॉजिटिव फिल्म सामग्री को संग्रहालय द्वारा अनुशंसित किसी इकाई में वीडियो कॉपी बनाने के लिए कॉपीराइट सर्वाधिकार स्वामित्व को दिया जा सकता है । तथापि, फिल्म को देने का अधिकार संग्रहालय के पास रहेगा ।

(5) यदि सर्वाधिकार स्वामित्व संग्रहालय के पास जमा फिल्म सामग्री को स्थाई परिरक्षण हेतु हटाना चाहता है तो संग्रहालय द्वारा उक्त सामग्री के संग्रहण व देखभाल की अवधि के खर्च के भुगतान के बाद ऐसा कर सकता है । देय संग्रहण व देखभाल प्रभार की राशि संग्रहालय द्वारा प्रचलित दरों के अनुसार तय की जाएगी और सर्वाधिकार स्वामित्व पर बाध्यकारी होगी । बाद की किसी तारीख से संग्रहालय द्वारा संग्रहण प्रभार लगाए जाने की

स्थिति में सर्वाधिकार स्वामित्व को ऐसे प्रभार शुरू होने की तारीख से उनका भुगतान करना होगा ।

(6) पिछले खंड वाक्य में दिए गए आवश्यक प्रभारों के भुगतान के बाद जमा फिल्म सामग्री को सर्वाधिकार स्वामित्व स्थाई परिरक्षण हेतु हटा दिए जाने के बाद भी खंड वाक्य संख्या 2 में विनिर्दिष्ट संग्रहालय के अधिकार, संग्रहालय द्वारा प्रति बना लिए जाने के बावजूद भी संग्रहालय के पास ही रहेंगे ।

(7) अधिकारों के हस्तांतरण की स्थिति में, जमाकर्ता/सर्वाधिकार स्वामित्व राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) के अभिलेख रिकार्ड हेतु प्रामाणिक काग़ज़ात भेजेंगे । फिल्म की स्थिति निम्नानुसार है:

जिसकी गवाही साक्ष्य में, अब दोनों पक्ष सहमत हैं और ------------------- 200 के ------------- दिन पर अपनी मुहर लगाते हैं ।

जमाकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर

निदेशक
राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय